

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव
पत्रांक 4313 /14-1 दिनांक, 17 फरवरी, 2022

सेवा में,

उपमुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र०,
एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी,
लखनऊ।

विषय:- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 6.4218 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूं में प्रभावित 4.9257 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहांपुर में प्रभावित 3.907 हे० संरक्षित एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे० संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 136 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे० संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय की पत्र सं०-2380/11-सी-एफ.पी./यू.पी./रोड़/144793/2021 दि०-11.02.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ को सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी व आपको पृष्ठांकित है (संलग्न है), के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रस्ताव से सम्बन्धित कुछ आपत्तियाँ लगायी गयी हैं, जिसका निराकरण किया जाना है।

अतः अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं का निराकरण करने का कष्ट करें।

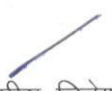
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव

पत्रांक / **समदिनांक**

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को आपके कार्यालय की पत्र सं०-2380/11-सी एफपी/यूपी/रोड़/144793/2021 दि०-11.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित तथा अन्य को पृष्ठांकित है, के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव